राजस्थान प्रारम्भिक शिक्षा परिषद्

द्वितीय से पंचम तल, ब्लॉक–5, शिक्षा संकुल परिसर,
जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर – 17

फोन नं: 0141–2709114

शिक्षा का अधिकार
सर्व शिक्षा अभियान
सब पढ़ें सब बढ़ें

फैक्स: 0141–2701822

email : rajssa _cmecce@yahoo.com

क्रमांक : 15(31) राप्राशिप / जय / सामु.गति. / एसएमसी प्रशि. / दिशा निर्देश / 2017–18 / 3162 दिनांक : 22/6/17

दिशा–निर्देश
(सत्र 2017–18)

PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर एसएमसी सदस्यों के लिए आयोजित किये जाने वाले तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण

प्रस्तावना :–

निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम–2009 की धारा–21 के प्रावधानानुसार राज्य के समस्त राजकीय प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक विद्यालयों में विद्यालय प्रबन्धन समिति के गठन का प्रावधान किया गया है। विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा में सम्बन्धित विद्यालय में अध्ययनरत प्रत्येक विद्यार्थी के माता पिता / अभिभावक, प्रत्येक अध्यापक, कार्य क्षेत्र में निवास करने वाले प्रत्येक जनप्रतिनिधि सदस्य हैं। समिति के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए साधारण सभा के सदस्यों में से 16 सदस्यीय कार्यकारिणी समिति का गठन किया जाता है। गठित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में जागरूकता उत्पन्न करना तथा उनमें क्षमता विकास करना आवश्यक है ताकि वे विद्यालय प्रबंधन में अपनी अपेक्षित भूमिका का निर्वहन कर सकें। इस कार्यालय के आदेश क्रमांक प.15(1) प्राशि / संस्थापन / 2017 / जयपुर / दिनांक 07.02.2017 द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में (ग्राम पंचायत क्षेत्रों में) पूर्व से प्रचलित नोडल विद्यालय व्यवस्था को समाप्त कर पंचायत प्रारम्भिक शिक्षा अधिकारी **(PEEO)** को **(CRCF)** के रूप में नामित किया गया है। अतः वर्तमान में **PEEO** द्वारा ही नोडल विद्यालय का दायित्व निभाया जाना है। शहरी क्षेत्र (नगरीय निकाय क्षेत्र) में नोडल व्यवस्था पूर्ववत ही रहेगी। इस हेतु **PEEO/**शहरी नोडल विद्यालय स्तर **(CRCF)** पर विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण आयोजित किये जाने हैं।

वार्षिक कार्ययोजना एवं बजट वर्ष 2017-18 में **PEEO/**शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर एसएमसी सदस्यों को तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण देने का प्रावधान किया गया है। इस प्रशिक्षण के मुख्य उद्देश्यों में विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति के सदस्यों को उनके दायित्वों, आरटीई एक्ट के प्रावधानों, सर्व शिक्षा अभियान की विभिन्न गतिविधियों, मिड–डे–मील, बाल अधिकारों, आपणी लाडो, "बेटी बचाओ–बेटी पढ़ाओ" कार्यक्रम, विद्यालय में बच्चों की सुरक्षा, स्वच्छ भारत मिशन, विद्यालय स्तर पर शिकायत निवारण तंत्र, विद्यालय में संधारित लेखों का सामाजिक अंकेक्षण, आपदा प्रबंधन आदि के बारे मे जानकारी देना, विद्यालय के प्रति अपनत्व की भावना विकसित करना, बालकों को गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना, जैण्डर से सम्बन्धित विषयों पर संवेदनशील करना, विद्यालय स्तर पर योजना निर्माण करना एवं विद्यालय विकास में जनसाधारण की सहभागिता प्राप्त करना आदि शामिल हैं। कार्यकारिणी समिति के ऐसे सदस्य जिन्होंने वर्ष 2016-17 तथा इससे पूर्व में प्रशिक्षण प्राप्त नही किया है को प्राथमिकता देते हुए एसएमसी की कार्यकारिणी समिति के 5 सदस्यों तथा एक जनप्रतिनिधि को शामिल करते हुए प्रत्येक एसएमसी में से 6 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना है।

www.rajteachers.com

1. वर्ष 2017-18 में विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रशिक्षण हेतु निम्नानुसार लक्ष्य निर्धारित किये गये है।

(लाख रूपये में)

क्र.स.	गतिविधि	यूनिट कॉस्ट (प्रति व्यक्ति तीन दिवस)	लक्ष्य 2017-18	
			भौतिक	वित्तीय
1	PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण संभागी × दिन × दर प्रतिदिन 406968 × 3 × 100 = **1220.90** लाख रूपये	**0.00300**	**406968**	**1220.90**

2. **प्रशिक्षण मॉड्यूल** : विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों को राज्य स्तर पर तैयार किये गये ''विद्यालय प्रबन्धन समिति प्रशिक्षण मॉड्यूल''के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाना है।

3. **राज्य स्तर पर मुख्य संदर्भ व्यक्तियों (केआरपी) के प्रशिक्षण** :

प्रत्येक जिले से 4 मुख्य संदर्भ व्यक्तियों (केआरपी) को राज्य स्तर पर एक दिवसीय प्रशिक्षण दिया जायेगा। जिन जिलों में दस से अधिक ब्लॉक्स हैं वहां से 5 मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया जायेगा। मुख्य संदर्भ व्यक्तियों के रूप में, पूर्व वर्षों में मुख्य संदर्भ व्यक्ति का प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके शिक्षक, डाइट फैक्ल्टी, ब्लॉक आरपी या प्रशिक्षण में दक्षता रखने वाले जिले के किसी अन्य शिक्षक आदि में से नामित किया जा सकता है। जिला परियोजना कार्यालय प्रशिक्षण कार्य में रूचि रखने वाले सक्षम एवं दक्ष प्रशिक्षकों को चयनित कर राज्य स्तरीय प्रशिक्षण में भेजें। प्रशिक्षित मुख्य संदर्भ व्यक्तियों द्वारा ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण दिया जायेगा। राज्य स्तर पर प्रशिक्षण के लिए आने वाले मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को नियमानुसार टीए/डीए देय होगा।

4. **ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण** :

राज्य स्तर पर केआरपी प्रशिक्षण उपरान्त PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर (CRCF) पर एसएमसी सदस्यों को प्रशिक्षित करने के लिए संदर्भ व्यक्यिों का प्रशिक्षण ब्लॉक स्तर पर आयोजित किया जायेगा। संदर्भ व्यक्ति के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए प्रशिक्षण कार्य में रूचि, अनुभव एवं दक्षता रखने वाले ब्लॉक के 20 से 25 शिक्षक/संस्था प्रधानों को सम्मिलित किया जायेगा। संदर्भ व्यक्ति के रूप में आमंत्रित किये जाने वाले PEEO/Head Teacher/शहरी नोडल विद्यालय संस्था प्रधानों के अलावा शेष सभी PEEO/ उनके द्वारा नामित Head Teacher को भी प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जायेगा ताकि प्रशिक्षण के समय वे प्रशिक्षण की मॉनिटरिंग एवं प्रबंधन सही प्रकार से कर सकें एवं आवश्यकता पड़ने पर संदर्भ व्यक्ति का उत्तरदायित्व भी निभा सकें। प्रशिक्षण के उपरान्त प्रत्येक ब्लॉक कार्यालय इन चिन्हित 20 से 25 संदर्भ व्यक्तियों की सूची जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध करायें। जिला कार्यालय ब्लॉक कार्यालय के साथ समन्वय स्थापित करते हुए चिन्हित सूची में से PEEO/शहरी नोडलवार (CRCF) प्रशिक्षण के लिए आवश्यकतानुसार संदर्भ व्यक्ति लगाये।

नोडल संस्था प्रधानों/संदर्भ व्यक्तियों के लिए ब्लॉक स्तर पर आयोज्य प्रशिक्षण का व्यय प्रशिक्षण शाखा द्वारा जारी निर्देशानुसार किया जाए। यह व्यय विद्यालय प्रबन्धन समिति की कार्यकारिणी समिति सदस्यों के PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर आयोज्य तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण के लिए वर्ष 2017-18 में निर्धारित बजट में से किया जायेगा। चूंकि संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण के लिए अलग से बजट प्रावधान नहीं है।

अतः कुल प्रति व्यक्ति 300/- रूपये यूनिट कॉस्ट में से 15/- रूपये यूनिट कॉस्ट का आवश्यकतानुसार व्यय संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण में किया जाए तथा विद्यालय प्रबंधन समिति कार्यकारिणी समिति सदस्यों के प्रशिक्षण हेतु जिले को आवंटित भौतिक लक्ष्य के अनुसार प्रशिक्षण कार्ययोजना तैयार कर प्रति संभागी तीन दिवस का 285/- रूपये व्यय किया जाए। जिला परियोजना कार्यालय इस बात का ध्यान रखे कि एसएमसी प्रशिक्षण के लिए जिले को आवंटित बजट से अधिक किसी भी दशा में व्यय नहीं किया जाए अन्यथा सम्बन्धित से व्यक्तिगत वसूली की जावेगी।

www.rajteachers.com

5. **जिला स्तर पर समीक्षा बैठक :**

ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण से पूर्व जिला स्तर पर एक समीक्षा बैठक आयोजित कर ब्लॉक स्तर के अधिकारियों को विद्यालय प्रबंधन समिति प्रशिक्षण मॉड्यूल एवं सामुदायिक गतिशीलता कार्यक्रम के अन्तर्गत आयोजित किये जाने वाले समस्त गतिविधियों के दिशा निर्देशों की विस्तृत जानकारी दी जावे ताकि ब्लॉक स्तर पर एवं PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर (CRCF) पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण में वे अपना सकारात्मक योगदान दे सकें। समीक्षा बैठक में ब्लॉक स्तर पर आयोजित किये जाने वाले संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्ययोजना भी निम्न प्रपत्र में तैयार करें इसमें राज्य स्तर से प्रशिक्षित मुख्य संदर्भ व्यक्ति को भी आमंत्रित किया जाए। कार्ययोजना की प्रति ब्लॉक कार्यालय को दी जाए तथा एक प्रति परिषद कार्यालय को भी प्रेषित की जाए। राज्य स्तरीय प्रशिक्षण के पश्चात् 10 दिनों के अन्दर ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण पूर्ण कर लिये जाएँ। ब्लॉक कार्यालय द्वारा संदर्भ व्यक्तियों/PEEO/शहरी नोडल विद्यालय संस्था प्रधानों को प्रशिक्षण के दिनांक की सूचना समय पर दी जाए।

ब्लॉक स्तरीय संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण कार्ययोजना

जिले का नाम : ....

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	ब्लॉक पर प्रशिक्षण की दिनांक	प्रशिक्षण हेतु नियुक्त केआरपी का नाम

6. **PEEO/शहरी नोडल विद्यालय विद्यालय स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति :**

जिला परियोजना कार्यालय द्वारा ब्लॉक कार्यालय के साथ समन्वय से प्रत्येक PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर प्रशिक्षण हेतु संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति की जायेगी। परन्तु नियुक्त संदर्भ व्यक्ति के किसी कारण से अनुपस्थित रहने पर वैकल्पिक व्यवस्था के लिए ब्लॉक कार्यालय से तत्काल आरक्षित संदर्भ व्यक्ति को नियुक्त किया जायेगा ताकि प्रशिक्षण में किसी प्रकार का व्यवधान न हो। PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर 30 से कम संभागियों के होने पर एक संदर्भ व्यक्ति एवं 30 या 30 से अधिक संभागियों के होने पर दो संदर्भ व्यक्तियों को लगाया जाए। लेकिन एक बैच में 40 से अधिक संभागी ना हो। इससे अधिक संभागी होने पर पृथक् बैच बनाया जाए।

- प्रशिक्षण स्थल पर पदस्थापित PEEO अथवा उनके द्वारा नामित Head Teacher/शहरी नोडल विद्यालय संस्था प्रधान को प्रशिक्षण में संदर्भ व्यक्ति के रूप में कार्य करने पर पृथक से मानदेय का प्रावधान नहीं है।

7. **भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारण** :–

- जिले के भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य **परिशिष्ट–1** पर संलग्न हैं।
- चूंकि, प्रत्येक PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण में भाग लेने वाले विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की संख्या समान नहीं है इसलिए जिला कार्यालय द्वारा वित्तीय प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए PEEO/शहरी नोडल विद्यालयवार भौतिक एवं वित्तीय लक्ष्य निर्धारित किये जावें।

8. ब्लॉक कार्यक्रम प्रभारी द्वारा PEEO/शहरी नोडल विद्यालय प्रभारी के साथ एक बैठक आयोजित करते हुए प्रशिक्षण हेतु निम्न प्रपत्र में योजना का निर्माण करें :–

www.rajteachers.com

एसएमसी प्रशिक्षण कार्य योजना

जिले का नाम :–

क्र.स.	ब्लॉक का नाम	PEEO/शहरी नोडल विद्यालय का नाम	PEEO/शहरी नोडल विद्यालय के अधीन प्रावि / उप्रावि Composite विद्यालयों की संख्या	PEEO/शहरी नोडल विद्यालय का भौतिक लक्ष्य			PEEO/शहरी नोडल विद्यालय का वित्तीय लक्ष्य	PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर प्रशिक्षण की दिनांक
				प्रशिक्षण में भाग ले रहे एसएमसी के कार्यकारिणी के सदस्य (प्रति विद्यालय 5)	चुने हुए जन प्रतिनिधि (PRI) जो विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्य हो (प्रति विद्यालय एक)	**PEEO/शहरी** नोडल विद्यालय पर कुल संभागी	सदस्यों की संख्या × रूपये **285**	

हस्ताक्षर

- बिन्दु संख्या 8 के अनुसार जिला स्तर से कार्ययोजना के अंतिमीकरण के बाद चरणबद्ध तरीके से PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण अगस्त 2017 से अक्टूबर 2017 के मध्य आयोजित किये जायेंगे।
- PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर प्रशिक्षण एक साथ आयोजित न करके चरणों में आयोजित किया जाए ताकि सघन एवं सुगम मॉनिटरिंग की जा सकें। एक ब्लॉक में एक चरण में 10 से अधिक PEEO/शहरी नोडल विद्यालय में प्रशिक्षण आयोजित नहीं किया जाए।
- प्रत्येक जिले द्वारा PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर आयोजित की जाने वाली प्रशिक्षण की कार्य योजना निर्धारित प्रपत्र में प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से कम से कम 15 दिवस पूर्व परिषद मुख्यालय को आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जाए।
- कार्यकारिणी समिति के 5 सदस्यों एवं एक जनप्रतिनिधि को मिलाकर 6 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाना है। यदि किसी विद्यालय परिक्षेत्र के जनप्रतिनिधि अन्य किसी विद्यालय के एसएमसी, सदस्य के रूप में प्रशिक्षण प्राप्त कर लेते हैं और उस विद्यालय के एसएमसी में अन्य कोई **जनप्रतिनिधि सदस्य उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में उनके स्थान पर कार्यकारिणी समिति के ही एक अतिरिक्त सदस्य को जोड़कर** 6 सदस्यों को प्रशिक्षण दिया जाए।
- समस्त प्रशिक्षणों का वित्तीय समायोजन प्रशिक्षण समाप्ति के 15 दिवस के अन्दर आवश्यक रूप से कर दिया जावे। किसी भी स्थिति में समायोजन को लम्बित नहीं रखा जावे।
- समय–समय पर विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारिणी समिति के कुछ सदस्यों की कार्यकारिणी समिति से सदस्यता का समाप्त होना कई कारणों से संभावित है। जैसे :– बच्चे का अन्तिम कक्षा पास करके निकल जाना, बच्चों का ड्रॉप–आउट हो जाना, बच्चों का विद्यालय परिवर्तन कर देना, अभिभावक का स्थान परिवर्तन हो जाने के कारण बच्चों का विद्यालय छोड़ देना आदि। इसलिए प्रशिक्षण से पूर्व यह अति आवश्यक है कि

www.rajteachers.com

विद्यालय प्रबंधन समिति की साधारण सभा की बैठक बुलाकर रिक्त हुए पदों को विद्यालय प्रबंधन समिति का पुनर्गठन कर भरा जाए तथा नव निर्वाचित सदस्यों को भी प्रशिक्षण में सम्मिलित किया जाए।

<u>जिला परियोजना कार्यालय के दायित्व</u> :

- टाईम लाइन चार्ट में निर्धारित समयावधि में प्रशिक्षण सम्पन्न करना।
- ब्लॉक स्तर पर संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण कार्ययोजना प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से 7 दिवस पूर्व एवं PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर एसएमसी सदस्यों के प्रशिक्षण कार्ययोजना प्रशिक्षण प्रारम्भ होने से 15 दिवस पूर्व परिषद को उपलब्ध कराना।
- निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु स्वीकृति, आवश्यक राशि एवं दिशा निर्देश समय रहते PEEO/शहरी नोडल विद्यालय विद्यालय तक पहुँचाना सुनिश्चित करना।
- विद्यालयों की संख्या के आधार पर ब्लॉकवार वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्य निर्धारित करना।
- प्रशिक्षण हेतु सम्पूर्ण राशि एक साथ जारी नहीं की जाकर PEEO/शहरी नोडल विद्यालय हेतु निर्धारित लक्ष्य की 60 प्रतिशत राशि जारी करना तथा प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त वांछित उपयोगिता प्रमाण पत्र/उपस्थिति के आधार पर वास्तविक व्यय की शेष राशि जारी करना।
- जिला कार्यालय द्वारा प्रशिक्षण हेतु राशि सीधे ही PEEO/शहरी नोडल विद्यालय एसएमसी. के खाते में जारी करना तथा इसकी सूचना ब्लॉक कार्यालय को भी प्रेषित करना।
- PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर प्रशिक्षण में होने वाले व्यय का निर्धारण संभागियों की संख्या 30 मानकर किया गया है। परन्तु इस संख्या में PEEO/शहरी नोडल विद्यालयवार परिवर्तन संभावित है। अतः संभागियों की संख्या 30 से अधिक होने पर निर्धारित मानदण्डानुसार राशि कम होने की स्थिति में जिला कार्यालय द्वारा बचत वाले PEEO/शहरी नोडल विद्यालय से राशि कमी वाले PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर दी जा सकती है परन्तु जिले का प्रति व्यक्ति औसत व्यय निर्धारित राशि से अधिक न हो।
- संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण एवं एसएमसी प्रशिक्षण का अनिवार्य रूप से जिला स्तरीय अधिकारियों द्वारा अवलोकन सुनिश्चित करना।
- उपयोगिता प्रमाण पत्र एवं उपस्थिति के आधार पर शेष राशि जारी की जाने से पूर्व ब्लॉक कार्यालय से संभागियों के रजिस्ट्रेशन पत्र/उपस्थिति पंजिका, प्रशिक्षण प्रतिवेदन और ब्लॉक कार्यालय के अधिकारियों/कार्मिकों की अवलोकन रिपोर्ट और आर.पी. द्वारा प्रमाणित उपस्थिति, फोटो आदि की प्राप्ति के प्रमाण पत्र के आधार पर भुगतान सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण की शेष राशि जारी करने से पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जावे कि आमंत्रित सदस्य निःशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम–2009 के प्रावधान अनुसार गठित विद्यालय प्रबंधन समिति के कार्यकारिणी समिति के सदस्यों में से ही थे। यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2016-17 तथा पूर्व वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये हुए सदस्यों को प्राथमिकता दी गई है।
- प्रशिक्षण समाप्ति पश्चात् 15 दिवस में निर्धारित प्रपत्रों में सूचनाएं, प्रतिवेदन एवं फोटो एलबम परिषद मुख्यालय को भिजवाना।
- प्रशिक्षण का भुगतान, विद्यालयवार प्रशिक्षण में भाग लेने वाले एसएमसी सदस्यों की संख्या के अनुपात में ही किया जाए।

www.rajteachers.com

PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर तीन दिवसीय गैर आवासीय एसएमसी प्रशिक्षण सूचना

जिला :–

प्रपत्र–अ

क्र.सं.	गतिविधि का नाम	ब्लॉक का नाम	लक्ष्य		उपलब्धि	
	एसएमसी सदस्यों के PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर तीन दिवसीय गैर आवासीय प्रशिक्षण		भौतिक	वित्तीय	भौतिक	वित्तीय
1						
2						
	योग					

हस्ताक्षर

जिला :–

प्रपत्र–ब

क. सं.	ब्लॉक का नाम	एसएमसी प्रशिक्षण हेतु PEEO/ शहरी नोडल विद्यालय को आवंटित भौतिक लक्ष्य	प्रशिक्षण में उपस्थित जन प्रतिनिधियों की संख्या	प्रशिक्षण में उपस्थित एचएम/ सदस्य शिक्षक एवं पुरस्कृत शिक्षक /शिक्षा शास्त्री की सं0	प्रशिक्षण में उपस्थित कार्यकारिणी के अभिभावक सदस्यों की संख्या	कुल	संभागियों का वर्गवार विवरण								कुल		
							सामान्य		ओबीसी		अनुसूचित जाति		अनुसूचित जन जाति				
						(4+5+6)	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	पुरुष	महिला	योग
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1																	
2																	
3																	
	योग																

हस्ताक्षर

प्रशिक्षण में भाग लेने वाले जनप्रतिनिधियों का वर्गीकरण

जिला :–

प्रपत्र – स

क. स.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण में आमंत्रित जनप्रतिनिधियों की सं0	उपस्थित जन प्रतिनिधियों की सं0	उपस्थित जनप्रतिनिधियों का वर्गीकरण						कुल
				जिला पार्षद	नगर पार्षद	पंचायत समिति सदस्य	सरपंच	वार्डपंच	अन्य जनप्रतिनिधि	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1										

नोट :– प्रपत्र–ब के कॉलम सं0 4 में दर्शाये जनप्रतिनिधियों की संख्या का प्रपत्र–स में वर्गीकरण कराया गया है।

हस्ताक्षर

www.rajteachers.com

प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागियों का वर्गीकरण

जिला :–

प्रपत्र – द

क्र.सं.	ब्लॉक का नाम	प्रशिक्षण में उपस्थित कुल संभागी	साक्षर संभागियों की संख्या		असाक्षर संभागियों की संख्या		योग	
			पुरूष	महिला	पुरूष	महिला	पुरूष	महिला
1	2	3	4	5	6	7	8	9

हस्ताक्षर

<u>बीईईओ के दायित्व</u> :

ब्लॉक स्तर पर प्रशिक्षण आयोजन पूर्व बीईईओ निम्न तैयारियों की कार्यक्रम प्रभारी के माध्यम से समीक्षा करें :–

- संदर्भ व्यक्ति प्रशिक्षण की सूचना संभागियों को समय पर देना, प्रशिक्षण के लिए आवश्यक व्यवस्थाएं एवं मॉनिटरिंग सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षण उपरान्त चयनित न्यूनतम 20-25 संदर्भ ब्यक्तियों की सूची जिला परियोजना कार्यालय को उपलब्ध कराना।
- PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर आयोज्य एसएमसी प्रशिक्षण की कार्ययोजना समय रहते तैयार करके जिला कार्यालय को उपलब्ध कराना।
- जिला कार्यालय के साथ समन्वय करके PEEO/शहरी नोडल विद्यालयवार संदर्भ व्यक्तियों की नियुक्ति करना।
- निर्धारित तिथियों पर प्रशिक्षण आयोजित करने हेतु दिशा निर्देश की PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर तक पहुॅच सुनिश्चित करना।
- ब्लॉक कार्यक्रम प्रभारी द्वारा (संदर्भ व्यक्ति) स्वयं एवं ब्लॉक के अन्य संदर्भ व्यक्तियों एवं अधिकारियों की अवलोकन कार्य योजना तैयार करना तथा तदनुसार प्रशिक्षण का अवलोकन करना।
- प्रशिक्षण अवलोकन के दौरान उपस्थिति पंजिका में सदस्यों की उपस्थिति प्रमाणित करना।
- प्रत्येक प्रशिक्षण का अवलोकन करना, संभागियों की उपस्थिति के प्रमाणीकरण के समय सुनिश्चित करना कि प्रशिक्षण में भाग लेने वाले संभागी विद्यालय प्रबंधन समिति की कार्यकारणी समिति के ही सदस्य हो तथा यह भी सुनिश्चित करें कि वर्ष 2016–17 तथा पूर्व वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये हुए सदस्यों को प्राथमिकता दी गई है।
- संदर्भ व्यक्ति द्वारा प्रशिक्षण समाप्ति के उपरान्त 10 दिन के अन्दर प्रशिक्षण के फोटोग्राफस विद्यालयवार प्रशिक्षण में भाग लेने वाले विद्यालय प्रबंधन समिति के सदस्यों की संख्या, प्रशिक्षण प्रतिवेदन निर्धारित प्रपत्र में सूचना एवं फोटोग्राफस आवश्यक रूप से जिला कार्यालय को प्रेषित करना।
- जिला कार्यालय को यू.सी. एवं आवश्यक प्रमाण पत्र उपलब्ध कराते हुए PEEO/शहरी नोडल विद्यालय प्रशिक्षण की शेष राशि जारी करवाना।

www.rajteachers.com

PEEO/शहरी नोडल विद्यालय प्रधानाध्यापक के दायित्व :–

- जिला परियोजना / बीईईओ कार्यालय के अधिकारियों के निर्देशानुसार प्रशिक्षण की कार्य योजना तैयार करना।
- वर्ष 2016–17 तथा पूर्व वर्षों में प्रशिक्षण प्राप्त नहीं किये कार्यकारिणी के सदस्यों को प्राथमिकता देते हुए कार्यकारिणी सदस्यों में से 5 सदस्यों एवं एक जनप्रतिनिधि को चिन्हित कर उनकी प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थिति सुनिश्चित करने हेतु सभी संस्था प्रधानों को निर्देशित करना।
- प्रधानाध्यापक, PEEO से समन्वय करते हुए चिन्हित / चयनित एसएमसी सदस्यों एवं चुने हुए जनप्रतिनिधियों को प्रशिक्षण की तिथि एवं स्थान की सूचना लिखित में उचित माध्यम से कम से कम प्रशिक्षण से 7 दिन पूर्व देना सुनिश्चित करेंगे।
- प्रशिक्षण में विद्यालय प्रबंधन समिति के सभी श्रेणी के सदस्यों यथा–महिलाओं, अनु.जाति, अनु.जनजाति, अल्पसंख्यकों, शिक्षा से वंचित विशेष वर्ग आदि से प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों को समस्त प्रधानाध्यापक, PEEO स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण में भिजवाया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रशिक्षण में भाग लेने वाले प्रत्येक एसएमसी सदस्य एवम् जनप्रतिनिधियों का पंजीकरण प्रपत्र संधारित करना।
- प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यवस्थायें सुनिश्चित करना एवं प्रशिक्षण पूर्व प्रशिक्षण सामग्री की उपलब्धता सुनिश्चित करना।
- प्रशिक्षण के दौरान पूरे समय संभागियों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।
- PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर प्रशिक्षण की दिनांक पर PEEO/PEEO द्वारा नामित Head Teacher/शहरी नोडल विद्यालय प्रधानाध्यापक की उपस्थिति अनिवार्य है एवं आवश्यकतानुसार प्रशिक्षण में संदर्भ व्यक्ति की भूमिका का निर्वाह करना।
- प्रशिक्षण से संबंधित अभिलेखों का संधारण करना यथा–बिल वाउचर, कैश बुक, उपस्थिति पंजिका, प्रतिवेदन, फोटो एवं निर्धारित प्रपत्र में सूचना संकलन आदि।
- विद्यालय प्रबन्धन समिति के प्रशिक्षण मॉड्यूल के आधार पर प्रशिक्षण आयोजित करवाना।
- प्रशिक्षण मॉड्यूल को विद्यालय रिकार्ड में सुरक्षित रखना ताकि आवश्यकता पड़ने पर एसएमसी सदस्यों द्वारा मॉड्यूल में दी गई जानकारी का उपयोग किया जा सकें।
- प्रशिक्षण हेतु आवश्यक व्यय यथा–चाय नाश्ता, प्रशिक्षण सामग्री, संदर्भ व्यक्तियों को मानदेय, संभागियों का किराया, प्रशिक्षण आयोजन हेतु बैठक व्यवस्था, फोटोग्राफ आदि पर निर्धारित राशि से अधिक व्यय किसी भी स्थिति में नहीं करना है।
- प्रशिक्षण समाप्ति के 7 दिवस में निर्धारित प्रपत्रों में सूचनाएं, प्रतिवेदन मय फोटोग्राफ एवं यू.सी. एवं आवश्यक प्रमाण–पत्र बीईईओ कार्यालय को भिजवाना।
- PEEO/शहरी नोडल विद्यालय संस्था प्रधान या उनके द्वारा मनोनीत अध्यापक ही व्यवस्थापक का कार्य करेंगे।

व्यय प्रावधान :–

- विद्यालय प्रबंधन समिति सदस्यों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण हेतु प्रावधित राशि 300/- रूपये प्रति व्यक्ति तीन दिवस में से PEEO/शहरी नोडल विद्यालय स्तर पर आयोजित किये जाने वाले प्रशिक्षण हेतु राशि 285/- रूपये प्रति व्यक्ति औसतन 30 संभागियों हेतु प्रशिक्षण व्यवस्था निम्न प्रकार किया जाए एवं शेष* राशि में से ब्लॉक स्तरीय प्रशिक्षण का व्यय किया जाए।

www.rajteachers.com

30 संभागियों के लिए प्रावधित राशि = 9000/-

PEEO/**शहरी नोडल विद्यालय स्तर प्रशिक्षण**–संभागी × दिन × दर

30 × 3 × 95 = 8550/-

क्र.सं.	विवरण	राशि रूपये	30 संभागियों पर व्यय
1.	भोजन एवं किराये का संभागियों को नकद भुगतान	135/- प्रति संभागी (तीन दिवस का)	4050.00
2.	जलपान (चाय–नाश्ता)	45/- प्रति संभागी (तीन दिवस का)	1350.00
	विविध व्यय		
3.	स्टेशनरी	10/- प्रति संभागी	300.00
4.	दक्ष प्रशिक्षक मानदेय (प्रत्येक PEEO/शहरी नोडल विद्यालय पर अधिकतम 2 दक्ष प्रशिक्षक)	300/- प्रति दक्ष प्रशिक्षक प्रतिदिन	1800.00
5.	कार्यक्रम की व्यवस्था पर होने वाले अन्य विविध व्यय, बैठक व्यवस्था, सफाई, पानी, फर्श, दरी, फोटोग्राफी, प्रतिवेदन, सहायक सामग्री आदि पर,		750.00
6.	व्यवस्थापक को मानदेय	100/- रूपये प्रतिदिन	300.00
	योग		**8550**
	शेष*		**450**
	महायोग		**9000**

- प्रशिक्षण में भाग लेने वाले एसएमसी सदस्यों एवं जनप्रतिनिधि को देय नकद भुगतान का बिल निम्न प्रारूप में संबंधित विद्यालय प्रबंधन समिति के प्रधानाध्यापक से प्रमाणित करावें।
- आयोजन हेतु किए गए व्यय का भुगतान चैक अथवा बैंक खाते में किया जावे।

प्रपत्र

PEEO/**शहरी नोडल विद्यालय का नाम** :............................ **प्रशिक्षण दिनांक** :..............

क्र. सं.	विद्यालय प्रबंधन समिति का नाम	उपस्थित सदस्य का नाम	उपस्थित दिनों की संख्या	देय नकद राशि	एसएमसी सदस्य के हस्ताक्षर	संबंधित एसएमसी के प्रधानाध्यापक द्वारा प्रमाणीकरणकर्ता के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	7
1						

www.rajteachers.com

- प्रशिक्षण अवलोकन प्रपत्र **परिशिष्ट–2** पर संलग्न है।

सामुदायिक गतिशीलता गतिविधि टाईम लाइन चार्ट 2017–18

S.No	Activity	Apr 17	May 17	Jun 17	Jul 17	Aug 17	Sep 17	Oct 17	Nov 17	Dec 17	Jan 18	Feb 18	Mar 18
1	एसएमसी प्रशिक्षण हेतु PEEO/शहरी नोडल विद्यालयवार कार्य योजना निर्माण				√	√							
2	मुख्य संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण				√								
3	संदर्भ व्यक्तियों को प्रशिक्षण					√							
4	एसएमसी सदस्यों का PEEO/श्शहरी नोडल विद्यालय विद्यालय स्तर पर प्रशिक्षण					√	√	√					
5	प्रगति की समीक्षा एवं व्यंय समायोजन							√	√				

(डॉ.जोगाराम)
आयुक्त

क्रमांक : 15 (31) राप्राशिप / जय / सामु.गति. / एसएमसी प्रशि. / दिशा निर्देश / 2017–18 / 3163 दिनांक : 22/6/17

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. निजी सचिव, आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
2. निजी सचिव, अतिरिक्त आयुक्त, राप्राशिप, जयपुर।
3. नियत्रंक वित्त, राप्राशिप. जयपुर।
4. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, समस्त–जिला।
5. उपायुक्त (प्लान) / मॉनिटरिंग, राप्राशिप, जयपुर।
6. उपायुक्त (आईटी) राप्राशिप, जयपुर। (वेब पोर्टल में अपलोड हेतु)
7. समस्त जिला प्रभारी अधिकारी, राप्राशिप, जयपुर।
8. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, प्रा.शि. एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, सर्व शिक्षा अभियान।
9. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी, माध्यमिक शिक्षा एवं पदेन जिला परियोजना समन्वयक, RMSA।
10. समस्त PEEO
11. रक्षित पत्रावली।

(मुकुल शर्मा)
अतिरिक्त आयुक्त

www.rajteachers.com

COMMUNITY MOBILISATION

SMC /PRI Training

(SMC Executive Members and PRI)

Proposed Physical and Financial Target of Districts 2017-18

S. No.	District	Total No. of Govt. PS, UPS & Composite Sec./Sr. Sec. Schools*	Three Day Training at Nodal Level	
			Target	
			Phy.	Fin. (in lacs)
1	Ajmer	1887	11322	33.97
2	Alwar	2875	17250	51.75
3	Banswara	2965	17790	53.37
4	Baran	1590	9540	28.62
5	Barmer	4831	28986	86.96
6	Bharatpur	1763	10578	31.73
7	Bhilwara	2897	17382	52.15
8	Bikaner	2026	12156	36.47
9	Bundi	1272	7632	22.90
10	Chittaurgarh	1829	10974	32.92
11	Churu	1440	8640	25.92
12	Dausa	1563	9378	28.13
13	Dhaulpur	1137	6822	20.47
14	Dungarpur	2469	14814	44.44
15	Ganganagar	1964	11784	35.35
16	Hanumangarh	1109	6654	19.96
17	Jaipur	3813	22878	68.63
18	Jaisalmer	1201	7206	21.62
19	Jalor	1929	11574	34.72
20	Jhalawar	1722	10332	31.00
21	Jhunjhunu	1622	9732	29.20
22	Jodhpur	3560	21360	64.08
23	Karauli	1414	8484	25.45
24	Kota	1093	6558	19.67
25	Nagaur	3095	18570	55.71
26	Pali	1806	10836	32.51
27	Pratapgarh	1583	9498	28.49
28	Rajsamand	1740	10440	31.32
29	Sawai Madhopur	1067	6402	19.21
30	Sikar	1980	11880	35.64
31	Sirohi	928	5568	16.70
32	Tonk	1472	8832	26.50
33	Udaipur	4186	25116	75.35
	Total	**67828**	**406968**	**1220.90**

****Source:U.DISE 2016-17***

www.rajteachers.com

एसएमसी सदस्य प्रशिक्षण अवलोकन प्रपत्र 2017–18

1. अवलोकनकर्ता का नाम :– .... पद ....
2. पदस्थापन स्थान :– .... मो.न. ....
3. अवलोकन की तिथि एवं समय ....
4. प्रशिक्षण आयोजक PEEO/शहरी नोडल विद्यालय विद्यालय का नाम :– ....
5. PEEO/शहरी नोडल विद्यालय संस्था प्रधान का नाम .... मो. न. ....
6. PEEO/शहरी नोडल विद्यालय के अधीन विद्यालयों की संख्या :– ....
7. प्रशिक्षण स्थल :– .... ब्लॉक :– ....जिला...............................
8. प्रशिक्षण दिनांक :– ....

7 प्रशिक्षण देने वाले संदर्भ व्यक्ति :–

(अ) नाम :– .... पद :– ....पदस्थापन स्थान :–....................मो.न. ....

(ब) नाम :– .... पद :– ....पदस्थापन स्थान :–....................मो.न. ....

8 कुल पंजीकृत संभागी :–. पुरूष ....महिला..................योग........................

9 प्रशिक्षण स्थल पर उपस्थित संभागीगण :–

(अ) जनप्रतिनिधि (PRI)::– पुरूष ....महिला ....योग ....

(ब) अभिभावक सदस्य ::– पुरूष ....महिला ....योग ....

(स) मनोनीत सदस्य :– पुरूष ....महिला ....योग ....

(द) संस्था प्रधान (सचिव) पुरूष ....महिला ....योग ....

(य) शिक्षक सदस्य :– पुरूष ....महिला ....योग ....

योग :– पुरूष ....महिला ....योग ....

10 संभागियों की बैठक व्यवस्था :– ....

11. मॉड्यूल की उपलब्धता :– ....

12 अवलोकन के समय मॉड्यूल के किस विषय पर चर्चा हो रही थी :– ....

13 संदर्भ व्यक्तियों के प्रशिक्षण देने का स्तर :– ....

14 प्रशिक्षण के सम्बन्ध मे संभागियों के विचार :–

----

15. प्रशिक्षण व्यवस्था सुधारने में तत्काल दिये गये निर्देश :–

----

16 प्रशिक्षण व्यवस्था के सम्बन्ध में अवलोकनकर्ता की टिप्पणी / सुझाव :–

प्रशिक्षण आयोजक PEEO/शहरी नोडल विद्यालय प्रभारी
के हस्ताक्षर (मय सील)

हस्ताक्षर अवलोकनकर्ता
दिनांक :–

www.rajteachers.com